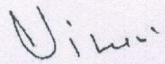


Detailed Violation Report

दिनांक 24.02.2022 को गांव खानक में हिसार से तोशाम सड़क कि०मी० 34-35 तथा खानक वन भूमि की हलका वन रक्षक द्वारा गरत की गई। गरत के दौरान पाया गया कि गांव खानक में खानक वन भूमि का अवैध रास्ते के लिए प्रयोग किया जा रहा था, जिसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर, HSIIDC द्वारा वन विभाग से कोई अन्नापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आरोपी प्रोजेक्ट मैनेजर, HSIIDC मार्किंग हेतु वनभूमि का इस्तेमाल करके भारतीय वन अधिनियम 1927 की उल्लंघना की गई है। इस उल्लंघना के लिए आरोपी प्रोजेक्ट मैनेजर, HSIIDC के खिलाफ वन अपराध रिपोर्ट नं० 069/0702 दिनांक 24.02.2022 चाक कर दी गई है। इस रास्ते की मंजूरी हेतु प्रोजेक्ट मैनेजर, HSIIDC को एफ० सी० ए० - 1980 के तहत प्रस्ताव बनाकर वन मण्डल कार्यालय, भिवानी में देने हेतु कहा गया। इसके अतिरिक्त यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद ही यह संज्ञान में आया कि उन द्वारा उक्त वनभूमि का इस्तेमाल अवैध रूप से किया जा रहा है, जिसके उपरान्त वन रक्षक द्वारा दिनांक 24.02.2022 को वन भूमि का अवैध रास्ते हेतु प्रयोग करने के कारण वन अपराध रिपोर्ट चाक कर दी गई। इस केस को पैनल सी०ए० सहित केस स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।


Divisional Forest Officer
BHIWANI